सिक्किम विश्वविद्यालय
(भारतके संसदके अधिनियमद्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
SIKKIM UNIVERSITY
(A Central University established by an Act of Parliament of India)

SU/2014/REG-03/R/GOGM/3025/२१५ Dated 13th May 2016

CIRCULAR – 14 /2016

Subject: **Revised Guidelines for the University Research and Publication Award**

The University has created a Research and Publication Award Fund to encourage socially relevant, interdisciplinary and innovative research and quality publication by the faculty members of the University. The University shall abide by the following guidelines for sanction of the University Research and Publication Award to the deserving faculty members of the University:

A. Research Fund Award

1. Notification for inviting applications for research fund shall be issued once a year in the month of July.
2. A maximum of six best applications shall be selected per annum for the award.
3. All regular Assistant Professors of the University shall be eligible for making such applications.
4. The applications for research fund shall include the statement of the problem, review of literature, objectives of study, methodology, a select list of references, timeline and a tentative budget. The proposal may not exceed five pages, single space, 12' font in Times New Roman.
5. The proposal in both soft as well as hard copy must be accompanied by a brief statement of prior research experience of the applicants, projects completed or ongoing, if any, and a list of publications during the last three years.
6. A teacher shall be eligible to apply for only one project at a time and be eligible for another cycle of funding after a gap of one year after submission of the report. If a teacher fails to submit the final report within six months after the completion of project period or fails to publish the findings of the research s/he will be disqualified to apply for the next round of funding.
7. If a PI leaves SU after the award is accepted and before the project is completed it will be incumbent upon her/him to complete the project and submit the report failing which the entire amount shall be recovered from her/his last pay. If s/he leaves after submission of

६ माइल, साम्दुर, पीओ. तादुङ-७३७१०२, गान्तोक, सिक्किम, भारत
फोन: ००-९१३५९२-२५१०६७, २५१४३८, फ्याक्स २५१४३८
6th Mile, Samdur, PO-Tadong 737 102, Gangtok, Sikkim, India
Phone 00-913592-251067, 251438, Fax- 251438
website www.sikkimuniversity.in

the report s/he is expected to acknowledge Sikkim University funding in all publications emanating from the project.

8. The project is non-transferable in nature.
9. The concerned Deans shall arrange to send the proposals to referees whose comments shall be placed at the meeting of the Deans' Committee held to decide which proposals are to be supported and which not. The Deans may or may not accept the comments of the referees in deciding upon the applications for project fund.

B. Research Publication Award

1. The University shall invite applications from all regular faculty members for the best publication award of the year in the month of May each year.
2. There shall be two such awards, one of which shall be for sciences and the other for humanities and social sciences.
3. The articles may be single-authored or multiple-authored, but the first/corresponding author must be an SU faculty member and they must be published between May 1 of the previous year and April 30 of the current year.
4. The first/corresponding author of the best article shall receive a cash award of ₹ 50,000/- and a citation on the foundation day of the University.
5. The Deans' Committee shall decide, on the basis of its own criteria, which article is to be declared as the best publication of the year.

(Dr. Suresh Gurung)
Registrar (In-charge)

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. Finance Officer
3. Controller of Examinations
4. Librarian
5. All Deans of Schools of Studies
6. Dean Students' Welfare
7. Joint Registrar (Academic)
8. All Heads/In-charges of the Departments
9. PS to Registrar
10. Webmaster for uploading in the website
11. Office Copy
12. Guard file

सिक्किम विश्वविद्यालय
(भारतके संसदके अधिनियमद्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
SIKKIM UNIVERSITY
(A Central University established by an Act of Parliament of India)

SU/2014/REG-03/R/GOGM/3025/215 दिनांक 13 मई 2016

परिपत्र – 14 /2016

विषय : **विश्वविद्यालय शोध और प्रकाशन पुरस्कार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश**

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक, अंतर्विषयक और नवाचारी शोध और गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक शोध और प्रकाशन पुरस्कार निधि बनाया है. विश्वविद्यालय के योग्य संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय शोध और प्रकाशन पुरस्कार के लिए मंजूर करने हेतु विश्वविद्यालय निम्नलिखित दिशा- निर्देशों का पालन करेगा.

क. शोध निधि पुरस्कार

1. शोध निधि पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु वर्ष में एक बार जुलाई महीने में अधिसूचना जारी की जाएगी.
2. इस पुरस्कार के लिए प्रति वर्ष अधिकतम छ: सर्वश्रेष्ठ आवेदन-पत्रों का चयन किया जायेगा.
3. विश्वविद्यालय के सभी नियमित सहायक प्राध्यापक इसके लिए आवेदन करने हेतु योग्य होंगे.
4. शोध निधि के लिए आवेदन-पत्रों में समस्या का विवरण, साहित्य की समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य, सन्दर्भ ग्रन्थ की चयन-सूची, समय-सीमा और संभावित बजट शामिल होंगे. प्रस्ताव पांच पृष्ठ से अधिक पृष्ठ के नहीं हो, और एकल स्पेस, टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉण्ट हों.
5. प्रस्ताव सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में आवेदकों के पूर्व शोध अनुभव, पूरी की गई अथवा चालू परियोजना, अगर कोई हो का एक संक्षिप्त विवरण तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशनों की सूचियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
6. कोई भी अध्यापक एक समय में एक परियोजना के लिए ही केवल आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और रिपोर्ट जमा करने के बाद एक वर्ष के अंतराल पर निधि के अन्य चक्र के लिए आवेदन करने हेतु योग्य होंगे. अगर कोई अध्यापक परियोजना की समय सीमा पुरे होने के बाद छ: महीने के अन्दर अंतिम रिपोर्ट जमा करने में असमर्थ होता है अथवा शोध के निष्कर्ष को प्रकाशित करने में विफल होता है तो वे वित्त पोषण के अगले दौर के लिए अयोग्य घोषित किये जायेंगे.
7. अगर किसी प्रधान अन्वेषक पुरस्कार स्वीकार करने तथा परियोजना सम्पूर्ण करने से पहले सिक्किम विश्वविद्यालय छोड़कर जाता है तो परियोजना पूरी करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व अध्यापक के ऊपर होंगे और ऐसा नहीं करने पर पूरी राशी उनके वेतन से वापस ली जाएगी.
8. परियोजना गैर-हस्तान्तरणीय है.

६ माइल, सामदुर, पीओ. तादुङ–७३७१०२, गान्तोक, सिक्किम, भारत
फोन: ००–९१३५९२–२५१०६७, २५१४३८, फ्याक्स २५१४३८
6th Mile, Samdur, PO-Tadong 737 102, Gangtok, Sikkim, India
Phone 00-913592-251067, 251438, Fax- 251438
website www.sikkimuniversity.in

9. सम्बंधित डीन प्रस्तावों को रेफरी को भेजने की व्यवस्था करेंगे जिनकी टिपण्णी, किन प्रस्तावों को समर्थित किया जायेगा और किसे नहीं किया जायेगा, इसका निर्णय लेने के लिए आयोजित डीन समिति की बैठक में रखी जाएगी. परियोजना निधि के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दी गई रेफरी की टिप्पणियों को डीन स्वीकार कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं.

ख. शोध प्रकाशन पुरस्कार

1. विश्वविद्यालय वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष मई महीने में सभी नियमित संकाय सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करेगा.
2. ऐसे दो पुरस्कार होंगे, उनमें से एक विज्ञान के लिए और दूसरा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए होगा.
3. लेख एकल लेखकीय अथवा बहु- लेखकीय हो सकता है, किन्तु प्रथम/समतुल्य लेखक को विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य होना अनिवार्य है और लेखों का प्रकाशन गत वर्ष के 1 मई से चालू वर्ष के 30 अप्रैल के बीच में होना अनिवार्य है.
4. सर्वश्रेष्ठ लेख के प्रथम/समतुल्य लेखक रु. 50,000/- का नगद पुरस्कार प्राप्त करेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा.
5. डीन समिति स्वयं के मापदंडों के आधार पर किस लेख को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के रूप में घोषित किया जाएं उस पर निर्णय लेगी.

सुरेश गुरुङ

(डॉ. सुरेश के. गुरुंग)
कुलसचिव (प्रभारी)

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. वित्त अधिकारी
3. परीक्षा नियंत्रक
4. पुस्तकालयाध्यक्ष
5. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
6. छात्र कल्याण डीन
7. संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक)
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. कुलसचिव के निजी सचिव
10. वेबमास्टर, वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
11. कार्यालय प्रति
12. सुरक्षा फाइल